

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:- 51/2017

अपीलार्थीगण

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1- ग्राम पंचायत पाल, ग्राम पाल
तहसील व जिला जोधपुर जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत पाल

1- जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर जरिये सचिव, जोधपुर
विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2- तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.08.2010 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित किया जाकर ख.नं.433 वाके ग्राम पाल, पटवार हल्का पाल तहसील व जिला जोधपुर भूमि कुल रकबा 201.10 बीघा का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के हक में पारित किया गया।

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक 31.01.2018

- 1- श्री श्यामसिंह भाटी अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
- 2- श्री राजेश शर्मा अधिवक्ता (प्रत्यर्थी-1)
- 3- प्रत्यर्थी-2 इत्तला बावजूद अनुपस्थित।

:- आदेश -:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम पाल तहसील जोधपुर के ख.नं. 433 कुल रकबा 201 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 6.00 बीघा भूमि गैर मुमकीन मार्ग ग्राम पंचायत पाल को जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक सम/06/834-838 दिनांक 24.02.2006 के द्वारा आवंटन किया गया जिसकी पालना में ग्राम पंचायत पाल के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2863 दिनांक 06.03.2006 को स्वीकार किया गया, परन्तु तहसीलदार जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2010 के जरिये अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर देते हुए प्रत्यर्थी-एक के पक्ष में ख.नं. 433 की सम्पूर्ण भूमि का अपीलाधीन नामान्तरकरण 3926 स्वीकृत कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमों मय प्रार्थना-पत्र धारा 5, भा. मियाद अधिनियम पेश किया।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीपक्ष 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी-2 का नोटिस बाद तामील लौटा। मूल नामान्तरकरण प्राप्त हो चुका है। दिनांक 30.01.2018 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि वाके ग्राम पाल तहसील जोधपुर के ख.नं. 433 कुल रकबा 201.10 बीघा गै.मु. आगोर भूमि में से 6.00 बीघा भूमि रास्ते के लिए जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक: सम /06 /834-838 दिनांक 24.02.2006 के द्वारा ग्राम पंचायत पाल को आवंटन की गई तथा आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत के पक्ष में नामान्तरकरण सं० 2863 दिनांक 06.03.2006 स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत के पक्ष में नामान्तरकरण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर रास्ता का निर्माण किया गया व लगातार ग्रामवासी इस भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में काम लेते आ रहे हैं अतः यह भूमि अपीलार्थीपक्ष में निहित हो चुकी है। बहस में आगे बतलाया गया कि प्रत्यर्थी-2 तहसीलदार जोधपुर ने अपीलार्थी को सुनवाई का बिना अवसर दिये ख.नं. 433 शेष भूमि रकबा 195.10 बीघा के स्थान पर अपीलार्थीपक्ष को आवंटन 06.00 बीघा भूमि को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण रकबा 201.10 बीघा मानते हुए प्रत्यर्थीपक्ष-1 जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही कर दी गई, जो विधि में मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत पाल के नाम स्वीकृत 6.00 बीघा भूमि रास्ता के रूप में जन साधारण के काम में आने वाली भूमि अन्य प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत प्रार्थना-पत्र में व्यक्त किया कि अपीलार्थीपक्ष द्वारा सर्वप्रथम अपीलार्थीपक्ष नामान्तरकरण एवं जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपियां दिनांक 13.10.2017 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि भूमि रकबा 6.00 बीघा को सम्मिलित करते हुए बिना कोई जांच किये व बिना अपीलार्थी को सुने ख.नं. 433 का कुल रकबा 201.10 बीघा भूमि का अपीलार्थीपक्ष नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकार कर दिया गया। बहस के अन्त में अपील अन्दर मियाद सुमार करते हुए अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थीपक्ष-एक के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रत्यर्थीपक्ष में अपीलार्थीपक्ष नामान्तरकरण जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया। अपीलार्थीपक्ष एवं प्रत्यर्थीपक्ष-1 दोनों का कार्य आम जनता को सुविधा देना है। ख.नं. 433 के सम्पूर्ण रकबा भूमि का जिला कलक्टर के आदेश से देय राशि राजकोष में जमा कराई गई उसके पश्चात् उसके खाते में भूमि दर्ज की गई तथा आज भी कब्जा जोधपुर विकास प्राधिकरण है तथा भविष्य में लोगों की सुविधा के लिए मास्टर प्लान के अनुसार योजना बनाकर विकास कार्य करवाये जायेंगे।

तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.12.17 में बतलाया गया कि नामान्तरकरण सं. 3926 दर्ज करते समय सहवन से पटवारी हलका द्वारा ख.नं. 433रकबा 201.10 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज कर दी गई थी जबकि ख.नं. 433मी. रकबा 6.00 बीघा गै.मु.रास्ता ग्राम पंचायत पाल के नाम शेष रखनी थी और ख.नं. 433 का शेष रकबा 195.10 बीघा गै.मु. आगोर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज की जानी थी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5, भा.परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना आवश्यक समझते हैं। अपीलार्थीपक्ष के कथनानुसार सर्वप्रथम अपीलार्थीपक्ष नामान्तरकरण एवं जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपियां दिनांक 13.10.2017 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि भूमि रकबा 6.00 बीघा को सम्मिलित करते हुए बिना कोई जांच किये व बिना अपीलार्थी को सुने ख.नं. 433 का कुल रकबा 201.10 बीघा

का अपीलार्थी नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकार कर दिया गया, जानकारी हुई तथा प्रार्थना-पत्र के तथ्यों के समर्थन में शपथ-पत्र भी दिया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से अपील में हुए विलम्ब के तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील मियाद सुमार की जाती है। अपील का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जाता है।

अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि ग्राम पाल के ख.नं. 433 रकबा 201.10 बीघा गै.मु. आगोर भूमि में से 6.00 बीघा भूमि रास्ते के लिए जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक:सम/06/834-838 दिनांक 24.02.2006 के द्वारा ग्राम पंचायत पाल को आवंटन की गई तथा आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत के पक्ष में नामान्तरकरण सं० 2863 दिनांक 06.03.2006 स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत पाल के पक्ष में नामान्तरकरण होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर रास्ता के रूप में काम में लिया जा रहा है तथा यह भी बतलाया गया कि प्रत्यर्थी-2 तहसीलदार जोधपुर ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही ख.नं. 433 रकबा 195.10 बीघा के स्थान पर अपीलार्थीपक्ष को आवंटन 06.00 बीघा भूमि को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण रकबा 201.10 मानते हुए प्रत्यर्थीपक्ष-1 जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही कर दी गई। तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.12.17 में बतलाया गया कि नामान्तरकरण सं. 3926 दर्ज करते समय सहवन से पटवारी हलका द्वारा ख.नं. 433 रकबा 201.10 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज कर दी गई थी जबकि ख.नं. 433मी. रकबा 6.00 बीघा गै.मु.रास्ता ग्राम पंचायत पाल के नाम शेष रखनी थी और ख.नं. 433 का शेष रकबा 195.10 बीघा गै.मु. आगोर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज की जानी थी। तहसीलदार की रिपोर्ट अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि करती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी नामान्तरकरण सं. 3926 में वर्णित भूमि ख.नं. 433 की भूमि 6.00 बीघा (पूर्व में ग्राम पंचायत पाल को गै.मु. रास्ता के रूप में आवंटन हुई) की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीपक्ष एवं प्रत्यर्थी-एक को सुनवाई का अवसर देते हुए दो माह के भीतर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही निस्तारण किया जावे। आदेश की प्रति मय मूल नामान्तरकरण तहसीलदार जोधपुर को सुचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।